CORDITE FACTORY, ARUVANKADU
A unit of Munitions India Limited
Govt. of India Enterprise,
Ministry Of Defence
Aruvankadu, Tamil Nadu- 643 202

CFA HRD ADVERTISEMENT No.1457 **Dated: 11.07.2026**

To promote Skill India Mission of Government of India, under Trade Apprentices Act 1961 and amendments thereof, online applications are invited from the Indian citizens for engagement of Trade Apprentices (Non-lTI & ITI candidates) for the **59th Batch**. **The total number of vacancies is** 47 No's (20 Non-ITI, 20 Ex-ITI, 07 EX-ITI Laboratory)**.** Importantly, the engaged Apprentices shall be imparted training at Cordite Factory, Aruvankadu.

Important Note: Candidates who have already undergone apprenticeship and possess National Apprentice Certificate (NAC) are not eligible to apply.

1. REGISTRATION OF APPLICATION:

Submission of Application Starts From	**11.07.2026**
Closing date for application	**31.07.2026**

AGE LIMIT: As on closing dating of application, minimum age for an apprentice is 18 years for designated trades related to hazardous industries, as per section3(a)of the Apprentice Act,1961,amendments thereof, and as per clause number 3 of the National Apprentice Promotion Scheme-2 (NAPS-2) issued by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship vide MSDE-5/01/2022- AP dated 25-08-2023, the upper age limit for all categories shall be 35 years.

2. ESSENTIAL QUALIFICATION: As on closing date of application

a.	For Non-ITI Category	Should have passed Madhyamik (class X std or equivalent) as on closing date of the application and possess minimum 50% marks as per criteria of the concerned Board (as per the original Mark sheet) and with minimum 40% marks, in both Mathematics and Science.
b.	For ITI Category	1. Should have passed relevant trade test from any institute recognized by the NCVT or SCVT or any other authority specified through Gazette notification of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship / Ministry of Labor and Employment with duration as per the Trade Apprentices Act 1961 with possession of minimum50% marks in the

		ITI examination. The relevant trade to be considered will be strictly on the basis of Schedule of Apprentice Act 1961, amendments thereof, 2. In addition, candidate must have passed Madhyamik / Class-X std or Equivalent (Minimum 50% marks in Matriculate /Class-X std).

3. VACANCY DETAILS:

Vacancies are attached as Annexure-1. However, the number of notified vacancies is provisional.PH/ PWD candidates can also apply against vacancies as per their eligibility. Their selection will be considering their suitability as per the provisions of the Trade Apprentices Act, 1961, Apprenticeship Rules, 1992, and amendments thereof.

I. When the prescribed number of persons belonging either to the Scheduled Castes {SC) or to the Scheduled Tribes {ST) are not available, the training places so reserved for them may be filled by persons belonging to the ST or as the case may be, to the SC and if the prescribed training places cannot be filled even in the above given manner, then the training places so lying unfilled may be filled by persons not belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. Similarly, if the prescribed training places reserved for Other Backward Classes cannot be filled from the OBC, then the training places so lying unfilled may be filled by persons not belonging to the OBC.

4. HOW TO APPLY:

A. Candidates are required to download and print the Application Form from the link provided and fill up the same in BLOCK LETTERS only. Along with other necessary enclosures**, one extra copy** of the same photograph to be **self- attested** (**in back on the photographs**) and enclosed.

The envelope must be clearly super scribed as **APPLICATION FOR THE INDUCTION OF TRADE APPRENTICES - (ATTENDANT OPERATOR CHEMICAL PLANT)**.

Application to be forwarded to the following address only:

The Chief General Manager,

Cordite Factory,

Aruvankadu, The Nilgiris District.

Tamilnadu Pin – 643202.

B. Candidates must fill their personal details carefully. Candidates should ensure that their name, father's name, date of birth, marks obtained shall exactly match with the details recorded in Matriculation or equivalent certificate etc. Any deviation found during Document Verification may result in cancellation of candidature and debarment.

C. Candidates are advised to indicate their active mobile number and valid e-mail ID in the application and keep them active during the entire engagement process as all important messages will be sent by email/ SMS, which will be treated as deemed to have been read by the candidates.

D. While filling up the application form the **applicant must be ready** with the following documents:

i. Recent clear copy of color photograph {size3.5cmx3.5 cm taken not earlier than three months from the date of publication of short advertisement, i.e. __._.2026.

ii. Clear scan picture/images of signature by the candidate on white paper with black/blue ink pen {size 3.5 cm x 3.5 cm).

iii. 12-digit Aadhaar Card Number. The candidates not having Aadhaar Number but who have enrolled for Aadhaar, can enter first 14-digit Enrolment ID printed on the Aadhaar enrolment slip.

iv. Legible copy of following original documents :

a) copy of Identity Card {such as Voter ID) in case Aadhaar card is unavailable.

b) SSC (Matriculation/ 10th Standard) or equivalent mark sheet.

c) Consolidated mark sheet for all semesters of the relevant ITI Pass trade against which application is submitted / Provisional National Trade Certificate indicating marks.

d) National Trade Certificate issued by NCVT or Provisional National Trade Certificate issued by NCVT /SCVT for ITI pass candidates

e) Caste certificate for SC/ST/OBC candidates, wherever applicable. For OBC Non- Creamy layer candidates, the candidates should also submit their OBC Non creamy layer certificate issued within three years.

f) Physical Disability certificate, in case of PH/PWD candidate issued by the competent Medical Board/ Authority.

E. No unclear/ illegible documents shall be accepted and the candidate's application may be rejected at the time of verification of documents. If the submited documents are irrelevant or not legible, the candidature of the candidate may be summarily rejected.

F. Candidates must also follow the detailed instructions, which is available on the website while filling up the application form.

G. The candidates not having Aadhaar Number and those having enrolled for Aadhaar but have not received Aadhaar card, can enter first 14digitsof Enrolment ID printed on the Aadhaar enrolment slip. This provision is applicable to all the candidates of all states and Union territories except Union Territory of Jammu and Kashmir, Ladakh and states of Meghalaya and Assam. Candidates from these states or Candidates not having Aadhaar Card or Aadhaar Enrolment ID, can enter ID Card No. of any of the following documents in the application form:

i. Voter ID Card
ii. Passport
iii. Driving License
iv. Photo ID Card issued by Central/ State Government
v. Student Identity Card with photograph issued by recognized school/college for their students
vi. Nationalized Bank passbook with photograph

H. Provisionally selected Candidates having Aadhaar card shall produce Original Aadhaar card or the document mentioned above at the time of document verification for the purpose of identification.

Candidates shall attach the following documents as proof of Address.

i. Bank Pass book
ii. Voter Identity Card
iii. Passport
iv. Latest electricity bill
v. Latest telephone bill
vi. Driving License
vii. Property tax receipt
viii. Aadhaar Card

I. Copy of the caste certificates in case of SC/ST and OBC candidates' in the prescribed Central Government Performa issued by appropriate authority shall have to be produced in original at the time of document verification.

5. MODE OF SELECTION:

i. Selection will be on the basis of merit. The merit list will be prepared separately for NON-ITI and EX-ITI categories. The merit list for NON-ITI category will be prepared on the basis of overall percentage of marks

in Madhyamik or matriculation (Class-X standard or equivalent), aggregate all subjects or best of 5 subjects as per criteria of the concerned 10th Board, as entered by the candidate. Candidate shall submit copy of mark-sheet of Madhyamik Board (Class X std. or equivalent).

ii. For NON-ITI category, In case of CGPA/GPA grading obtained by the candidate one has to enter marks (and not CGPA grading) by ensuring conversion as per the candidate's 10th standard board criteria (in case candidates incorrectly enters the correct CGPA grade, it will be converted to percentage by standard multiplication factor of 9.5, uniformly, irrespective of the concerned board criteria. Therefore, the candidates shall observe due care. This formula shall be used for all such candidates, either for whom there is absence of clear instructions from the concerned 10th Board or those who enter correct CGPA/GPA instead of marks. Those who use incorrect conversion formula, i.e. different from the one mandated by the concerned 10th Board, shall be rejected during document verification.

iii. The marks / percentage will be considered for preparing merit list). In case the candidate's class 10th standard board declares the matriculation result in form of grades such as A+/A/B+/B/C+/C etc, then the candidate needs to enter the percentage of marks obtained as per 10th board criteria ,i.e., conversion formula. In case the corresponding board doesn't provide the conversion formula, then following table shall be used to calculate percentage from grades.

GRADE	RANGEOFMARKS	PERCENTAGE
A+	90-100	95%
A	80-89	84.5%
B+	70-79	74.5%
B	60-69	64.5%
C+	50-59	54.5%
C	40-49	44.5%

The Merit List for Ex- lTI category will be prepared on the basis of simple average of percentage of marks both in Matriculation and ITI (minimum 50% in aggregate in each). For the purpose of calculation of percentage of Matriculation, marks obtained by the candidate in the application will be considered (aggregate of all subjects or best of 5 subjects, as per guideline of concerned 10th Board), and for calculation of percentage of ITI marks, marks mentioned in provisional/final certificate will be considered.

The aggregate marks obtained by the candidates in Madhyamik (Class X or equivalent) shall be considered irrespective of Board / Exam System and shall be considered as per percentage formula of that Board/ Exam System only.

Based on the vacancy position, select lists will be prepared and only provisionally selected candidates will be called for document verification and medical examination.

The Resolution-

For preparation of merit list, in case of two candidates having the same marks/ percentage (tie case), the older candidates shall be preferred. If the dates of birth are also the same, then the candidates possessing Matriculation certificate of an earlier year shall be preferred. However, if the Year of passing of Matriculation examination is also same, then the alphabetical order of the candidates' names shall be taken into account, i.e., the candidate whose name appears first shall be preferred.

In case of any mistake or error by over sight or otherwise, then as per applicable rules, CFA Management reserves the right to take action to revise select list of the eligible candidates, as deemed fit, at any point of time and in this regard, the decision of CFA Management shall be final.

6. RESERVATION FOR SC/ST/OBC & PH CANDIDATES:

Reservation is applicable as per the relevant schedule in the Rules under the Apprentice Act, 1961, Apprenticeship Rules 1992, amendments thereof, the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, and the existing rules of the Government of India. Vacancies notified against PH/PWD category are not separate but included in the total number vacancies as per provision. Final selection of the candidate shall be in order of merit in each category, separately as per applicable Reservations Rules.

7. DURATION OF TRAINING:

For Non-lTI and ITI candidates: Duration of Training period shall be as specified in the Trade Apprentices Act, 1961, Apprenticeship Rules 1992, and amendments thereof. However, for ex-lTI candidates, training period shall be as per the schedule I of Apprenticeship Rules 1992 and amendments thereof in the respective trade.

8. STIPEND:

The minimum stipend per month shall be paid to the trade apprentices (as per the provision of sub-rule (1)of rule 11 of the Apprenticeship Rules, 1992). According to the Trade Apprentice Act 1961 & as per The Gazette notification of India, G.S.R. 610(E), Dt.September 03rd, 2025, intimated vide Government of India, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (Apprenticeship Training Division), Letter No. DGT-36/1/2021-AP Dated 15.10.2025, the stipend paid to apprentices per month shall be.

NON-ITI(Matriculation/Xth Class Candidate)	8,200
EX-ITI(ITI Pass candidate)	9,600

No other allowances will be paid during the entire period of apprenticeship training. However, in case of Ex-lTI candidate, period of training already undergone by them will be considered for the purpose of determining the stipend. Based on relevant amendments issued by inter alia the Government of India, the ibid payments shall remain amenable to change.

9. STANDARD OF PHYSICAL FITNESS:

As per the Apprentice Act, 1961, Apprenticeship Rules 1992 and amendments thereof.

10. MEDICAL EXAMINATION:

After successful document verification of the provisionally selected candidates, medical examination will be conducted at Cordite Factory, premises. Date, Time and Venue of Medical Examination will be communicated separately by the factory only. Candidates passed in medical examination will be considered for further process of TA engagement.

11. TERMS & CONDITIONS:

The selected candidates will have to execute a Contract of Apprenticeship (if minor, by his/her guardian). During the training, the Apprentices are entitled for MEDICAL treatment from cordite Factory Hospital only as per rules. If a candidate is selected as Trade apprentice, his/her training shall be subject to registration by respective RDSDE. If due to any reason the RDSDE are not able to register the candidate, the training of the candidate shall be terminated immediately. Up on completing the training, the candidates on passing a test, conducted by the National Council for Training (NCVT) in Vocational Trades to determine his/her designated proficiency in which he/she has served, as an Apprentice, will be issued certificate of proficiency in the concerned trade by the NCVT. In the event of premature termination of Contract of Apprenticeship for failure on the part of apprentice to follow the terms and conditions of the contract (as notified under the Apprenticeship Rules 1992) and amendments thereof, the candidate/surety has to pay such amount as is determined by the Apprenticeship Adviser as and towards the cost of training.

12. OFFER & ACCEPTANCE OF EMPLOYMENT:

It shall not be obligatory on the part of the Employer to offer any employment to

any Apprentice after completion of the training, nor shall it be obligatory for the Apprentices to accept any employment, if offered by the Employer. The candidates are advised to get themselves familiarized with the rules and regulations under the Apprentices Act, 1961,Apprenticeship Rules 1992 and amendments thereof and Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

13. MEDICAL FITNESS

A person shall be eligible training under the Apprentices Act, 1961, Apprenticeships Rules, 1992, and amendments thereof, if he or she satisfies the minimum standards of physical fitness as prescribed therein for imparting training in the relevant trades which will be certified by the cordite Factory hospital.

14. GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES:

Candidates are advised to note the following instructions carefully:

I. It shall be noted that mere submission of application does not guarantee induction as trade apprentice. The selection of candidates will be made based on Merit List / Select List considering available vacancies. The candidature of all applicants shall be purely provisional all stages of selection process. The candidature and selection of candidates shall also be subject to scrutiny of original credentials/ documents, clear police verification report, medical test and other eligibility criteria as mentioned in the advertisement and provisions of Act Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules, 1992 and all amendments thereof. However, pending/ delay in police verification report shall not be ground to reject engagement of candidate.

II. The candidates are required to carefully go through the advertisement in detail. The candidates are advised to carefully submit/ enter the marks/ percentage obtained in educational eligibility criteria. The candidates are required to confirm themselves that they fulfill all the conditions in this advertisement before submitting their applications.

III. Candidates are required to regularly check website **(https://www.ddpdoo.gov.in)** for updates and changes.

IV. Candidates are required to give valid mobile number and e-mail id for periodical notices.

V. Canvassing of any kind will disqualify the candidate. Selection process is done strictly on merit. Candidates are advised not to fall prey to any unscrupulous elements.

VI. Any material suppression off acts or submitting forged certificates shall lead to rejection of his/her candidature at any stage of selection of this process.

VII. Decision of CFA in all matters relating to the eligibility, acceptance/ rejection of

any application etc. shall be final and binding on the candidate and no query/ correspondence shall be entertained in this regard.

VIII. Any subsequent changes in the terms and conditions of the engagement of Trade Apprentices as per the extant rules will stand good. Cordite Factory, Aruvankadu reserves the right to incorporate any subsequent changes/ modifications/ additions in the terms & conditions under this advertisement notice as necessitated and applicable. Cognizance shall be taken of the short advertisement and the corresponding corrigendum, published in the employment news.

IX. Any dispute with regard to the engagement of Trade Apprentices will be subject to courts/ tribunals having jurisdiction over the City/ Town in which Cordite Factory is situated.

X. No Transport Allowance shall be admissible to any candidates called for Documents Verification/ Medical Examination.

XI. All the provisions of Act Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules, 1992 and all amendments thereof as on date are applicable.

NOTE-I: To avoid last minute rush, candidates are advised in their own interest to submit application well before the closing date.

NOTE-II: CFA will not accept any responsibility for the candidates not being able to submit their application within the last day on account of aforesaid reasons or any other reasons thereof.

15. REJECTION OF CANDIDATURE:

Candidates are requested to read all instructions carefully& thoroughly before applying. Their applications, otherwise, are likely to be rejected on one or more of the following reasons. The application or candidature of the candidate may be rejected for any of the following reasons:

1. In complete Application unclear or illegible documents sub mitted.
2. Does not possess the prescribed qualification as indicated in this advertisement to undergo the trade apprenticeship in cordite Factory as on date of this advertisement.

Ill. Over aged or under aged or Date of Birth not filled or wrongly filled.

IV. Double or multiple applications submitted. The candidature will also be cancelled on applying for both ITI and Non-lTI vacancies.

V. Only a single application will be entertained. In respect of multiple applications, the latest application shall be considered.

VI. Application without photo, clear photo, photo with cap, wearing goggles, disfigured, unrecognizable or unclear or unidentifiable photo. Applications with unclear Signature or documents submitted.

VII. Candidate's name is figuring in the debarred list.

VIII. Any other irregularities which may render the candidature of applicant invalid by CFA.

IX. Mismatch of Name, Father's name, Date of Birth, marks submitted and year of passing in application form with the 10th certificate/ITI certificate.

X. Irrelevance between the applied trade and the ITI trade certificate i.e. applications submitted without prescribed educational / Technical (ITI) qualifications in various designated trades as indicated in advertisement.

16. IMPORTANT:

All the prospective candidates are requested to submit the copies of the following documents with application form.

i. Recent clear soft/ scanned copy of color photograph (size3.5 cm x 3.5cm taken not later than three months from the date of application,

ii. Clear signature by the candidate on white paper with black/ blue ink pen (size 3.5 cm x 3.5 cm)

iii. 12-digit Aadhaar Card Number. The candidates not having Aadhaar Number but who have enrolled for Aadhaar, can enter first14-digit Enrolment ID printed on the Aadhaar enrolment slip. Candidates not having Aadhaar Card or Aadhaar Enrolment ID, can enter ID Card No. of any ID card as mentioned in the advertisement.

iv. Legible copy of following original documents.

a) copy of Identity Card in the absence of Aadhaar

b) SSC(Matriculation/ 10thStandard) or its equivalent mark sheet.

c) Certificate for proof of date of birth (10th Standard or its equivalent Matriculate certificate or mark sheet indicating date of birth or school leaving certificate indicating date of birth).

d) Consolidated mark sheet for all semesters of the relevant ITI Pass trade against which applied/ Provisional National Trade Certificate indicating marks.

e) National Trade Certificate issued by NCVT or Provisional National Trade Certificate issued by NCVT /SCVT for ITI pass candidates

f) Caste certificate for SC/ST/OBC candidates, wherever applicable. For OBC Non-Creamy layer candidates, the candidates should also submit their OBC Non-creamy layer certificate issued within last three years.

g) Physical Disability certificate, in case of PH/PWD candidate issued by the competent Medical Board/ Authority.

SL No	State	Name Of Factory	Trade	UR	OBC	SC	ST	TOTAL	Physically Handicapped		
									OH	HH	VH
1	Tamil Nadu	Cordite Factory Aruvankadu	Ex ITI Attendant Operator Chemical Plant	10	5	4	1	20	0	0	0
			Ex ITI Operator Chemical Plant	10	6	4	0	20	0	0	0
			Ex ITI Laboratory Assistant (Chemical Plant)	4	2	1	0	7	0	1	0
			Total	**24**	**13**	**9**	**1**	**47**	**0**	**1**	**0**

कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु
म्यूनिशंस इंडिया की इकाई
भारत सरकार का उपक्रम
रक्षा मंत्रालय
अरुवनकाडु,तमिलनाडु - 643 202

सी एफ ए एच आर डी विज्ञापन सं.1457 **दि .** 11.07.2026

प्रशिक्षु अधिनियम 1961और तत्संबंधी संशोधनों के तहत भारत सरकार के कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 59 वें बैच हेतु प्रशिक्षुओं (गैर आई टी आई एवं आई टी आई उम्मीदवारों) की नियुक्ति हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । पदों की कुल संख्या 47 (20 गैर आई टी आई , 20 पूर्व आई टी आई , 07 पूर्व आई टी आई प्रयोगशाला) है । प्रमुखत: नियुक्त प्रशिक्षुओं को कॉडाईट निर्माणी अरुवनकाडु में प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

महत्वपूर्ण टिप्पणी :- प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त या राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र (एन ए सी) प्राप्त उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं ।

11. **आवेदन पंजीकरण**

आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि	11.07.2026
आवेदन की अंतिम तिथि	31.07.2026

आयु सीमा :- आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार प्रशिक्षु अधिनियम 1961 तथा तत्संबंधी संशोधन की धारा 3 (A) के अनुसार खतरनाक उद्योगों से जुड़े चिन्हित ट्रेड के लिए 18 वर्ष है और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एम एस डी ई -5/01/2022- एच दिनांक 25/08/2023, द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना -02 के उपबंध 03 के अनुसार ऊपरी आयुसीमा समस्त वर्गों के लिए 35 वर्ष होगी ।

2. अनिवार्य योग्यता :- आवेदन के अंतिम तिथि के अनुसार

क	गैर आई टी आई वर्ग	आवदेन की अंतिम तिथि को माध्यमिक (कक्षा X या समकक्ष) उत्तीर्ण, जिसमें संबंधित बोर्ड (मूल अंक सूची के अनुसार) के मानदण्ड के अनुसार न्यूनतम 50% अंक , और गणित तथा विज्ञान दोनों में न्यूनतम 40 % अंक प्राप्त होना चाहिए ।
ख	आई टी आई वर्ग	एन सी वी टी या एस सी वी टी या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय/प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में दिए गए अवधि हेतु श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकरण से संबंधित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण जिसमें आई टी आई परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होना चाहिए । प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में अधिसूचित ट्रेड के आधार पर ही संबंधित ट्रेड पर विचार किया जाएगा ।

.

3. रिक्तियों का विवरण:-

रिक्तयों का विवरण अनुलग्नक – 1 में संलग्न है तथापि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या अस्थायी है/पी एच/पी डब्लयु डी उम्मीदवार अपनी पात्रता के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं । उनका चयन प्रशिक्षु अधिनियम 1961, प्रशिक्षु नियमावली 1992 एवं तत्संबंधी संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार उनकी उपयुक्तता के आधार पर किया जाएगा ।

1. अनुसूचित जाति (एस सी) या अनुसूचित जनजाति (एस टी) के उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त पदों को एस सी अथवा एस टी वर्ग के उम्मीदवारों से जैसा भी मामला हो, भरा जाएगा । उक्त अनुसार कार्रवाई करने के बावजूद यदि रिक्तियाँ नहीं भरी जाती हैं तो रिक्त पदों को उन उम्मीदवारों से भरा जाएगा जो एस सी एवं एस टी वर्ग के उम्मीदवार नहीं हैं । इसी प्रकार यदि कोई पद अन्य पिछडी जाति (ओ बी सी) के लिए आरक्षित हो तो ऐसे पद उन उम्मीदवारों से भरी जाएगी जो ओ बी सी वर्ग के नहीं हैं ।

4. आवेदन कैसे आवेदन कैसे करें:-

क.उम्मीदवारों को दिए गए लिंक से आवेदन पत्र का प्रारूप डाऊनलोड कर प्रिंट करना होगा और इसे बड़े अक्षरों में ही भरना होगा । दूसरे अनुलग्नकों के साथ **एक और अतिरिक्त फोटो** (फोटो के पीछे स्वहस्ताक्षर के साथ) संलग्न करें ।

लिफाफे पर यह अंकित होना चाहिए :- **प्रशिक्षु –(ए ओ सी पी) की नियुक्ति हेतु आवेदन**

आवेदन पत्र निम्नलिखित पते पर ही भेजा जाना चाहिए :-

मुख्य महाप्रबंधक
कॉडाईट निर्माणी, अरुवनकाडु
नीलगिरी जिला
तमिलनाडु, पिन – 643 202

ख. उम्मीदवारों को अपना वैयक्तिक विवरण सावधानीपूर्वक भरना चाहिए । उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, प्राप्त अंक आदि का विवरण उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित रिकार्ड के अनुरूप है । दस्तावेज सत्यापन के समय विवरण में भिन्नता पाए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और उन्हें चयन से वंचित रखा जाएगा ।

ग. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में अपने सक्रिय मोबाइल नंबर और मानक ई – मेल आई डी अंकित करें और संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान इन्हें सक्रिय रखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ ई – मेल/एस एम एस के द्वारा भेजी जाएगी और यह समझा जाएगा कि इसे उम्मीदवार ने पढ़ लिया है ।

घ. आवेदन भरते समय आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ **तैयार रहना चाहिए**

1.नवीनतम फोटो (आकार 3.5से.मी x 3.5 से.मी) जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात दिनांक 2026 से 03 माह पहले का न हो ।

2.सफेद कागज़ पर काले/नीले पेन से उम्मीदवार द्वारा किए गए हस्ताक्षर की साफ स्कैन पिक्चर/इमेज (आकार 3.5 से.मी x 3.5 से.मी)

3.उम्मीदवार के पास 12 अंक आधार कार्ड होना चाहिए । यदि उनके पास आधार कार्ड न हो और उन्होंने इसके लिए यदि आवेदन किया हो तो वे आधार पंजीयन पर्ची में अंकित 14 अंक पंचीयन आई डी दर्ज कर सकते हैं ।

4.निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की साफ प्रतियाँ :-

क. यदि आधार कार्ड न हो तो पहचान पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र) की प्रति ।

ख. एस एस सी (मैट्रिक दसवीं कक्षा) या समकक्ष परीक्षा की अंक सूची ।

ग . आवेदित पद से संबंधित ट्रेड में आई टी आई उत्तीर्ण परीक्षा का सभी सत्रों का सकल अंक/अंक दर्शाते हुए अस्थायी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ।

घ. एन सी वी टी द्वारा जारी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या एन सी वी टी/एस सी वी टी द्वारा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को जारी अस्थायी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र ।

च. जहाँ भी लागू हो एस सी/एस टी/ओ बी सी उम्मीदवारों हेतु जाति प्रमाण पत्र । ओ बी सी उम्मीदवारों के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र । ओ बी सी उम्मीदवारों के मामले में तीन वर्ष के अंदर जारी ओ बी सी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र ।

छ. पी एच/पी डब्लयू डी उम्मीदवारों के लिए सक्षम चिकित्सा बोर्ड/प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र ।

ज. अस्पष्ट दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे और दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र निरस्त हो सकते हैं । यदि अप्रासंगिक और अस्पष्ट दस्तावेज जमा किए जाते हैं तो ऐसे उम्मीवारों की उम्मीदवारी सीधे निरस्त कर दी जाएगी ।

झ. उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र भरते समय वेबसाईट में उपलब्ध विस्तृत अनुदेश का अनुपालन करना होगा ।

त. उम्मीदवार जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और यदि उन्होंने इसके लिए आवेदन किया है परंतु उन्हें अब तक आधार कार्ड नहीं प्राप्त हुआ है, तो वे आधार पंजीयन पर्ची में अंकित 14 अंक पंजीयन आई डी दर्ज कर सकते हैं । यह प्रावधान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सिवाय जम्मु कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख, मेघालय और असम के राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए लागू होगा । इन राज्यों के उम्मीदवारों या आधार कार्ड या आधार पंजीयन आई डी नहीं होने वाले उम्मीदवार अपने आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज परिचय कार्ड नंबर के रूप में दर्ज कर सकते हैं :-

i. मतदाता कार्ड
ii. पासपोर्ट
iii.ड्राविंग लाईसेंस
iv.केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो परिचय पत्र
v.किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए जारी फोटो युक्त छात्र परिचय पत्र
vi. फोटो युक्त राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक

थ. अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय परिचय के उद्देश्य से आधार कार्ड की मूल प्रति या ऊपर उल्लेखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा । उम्मीदवारों को अपने पते के साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना होगा :-

i. बैंक पास बुक
ii.मतदाता परिचय कार्ड
iii.पासपोर्ट
iv.नवीनतम बिजली बिल
v.नवीनतम टेलीफोन बिल
vi.ड्राइविंग लाइसेंस
vii.संपत्ति कर पावती
viii.आधार कार्ड

द. दस्तावेज़ सत्यापन के समय एस सी/ एसटी और ओ बी सी उम्मीदवारों को निर्धारित केंद्रीय सरकारी प्रपत्र पर उचित प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

5. चयन का आधार:-

i. चयन वरीयता के आधार पर की जाएगी । गैर आई टी आई और भूतपूर्व आई टी आई वर्ग के उम्मीदवारों के लिए वरीयता सूची पृथक रूप से बनाई जाएगी । गैर आई टी आई वर्ग के लिए वरीयता सूची माध्यमिक या मैट्रिक (कक्षा दसवीं या समकक्ष स्तर) में उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार दसवीं बोर्ड के सभी विषय या मानक के आधार पर सर्वोतम पाँच विषयों में प्राप्त अंकों के औसत प्रतिशत के आधार पर बनाई जाएगी । उम्मीदवार को माध्यमिक बोर्ड (दसवीं या समकक्ष) की अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी ।

ii.गैर आई टी आई वर्ग के लिए यदि उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सी जी पी ए/जी पी ए के मामले में उम्मीदवार को दसवीं बोर्ड मानदण्ड के आधार पर परिवर्तन सुनिश्चित करते हुए अंक (सी जी पी ए ग्रेडिंग नहीं) दर्ज करना होगा । यदि उम्मीदवार सही सी जी पी ए ग्रेड़ गलत अंकित करता है तो 9.5 मानक गुणांक के आधार पर भले ही संबंधित बोर्ड का

आधार कुछ और हो, समान रूप से प्रतिशत में बदल दिया जाएगा । इसलिए, उम्मीदवारों को इस मामले में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए । यह सूत्र उन सभी उम्मीदवारों के लिए उपयोग किया जाएगा जिन्होंने या तो संबंधित दसवीं बोर्ड से सुस्पष्ट अनुदेश प्राप्त नहीं किया है या जिन्होंने अंक के स्थान पर सही सी जी पी ए/जी पी ए अंकित किया है । जो उम्मीदवार गलत रूपांतरण सूत्र का उपयोग करनेवाले अर्थात दसवीं बोर्ड द्वारा अनिवार्य किए गए सूत्र से भिन्न हो तो दस्तावेज़ सत्यापन के समय ऐसे आवेदन निरस्त कर दिए जाएँगे ।

iii. वरीयता सूची बनाते समय अंकों/प्रतिशत का ध्यान रखा जाएगा यदि उम्मीदवार का दसवीं बोर्ड मैट्रिक परीक्षा परिणाम A +/A/B+/B/C+/Cआदि ग्रेड के रूप में घोषित होता है तो उम्मीदवार को दसवीं बोर्ड मानदण्ड अर्थात परिवर्तन सूत्र के आधार पर प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्ज करना होगा । यदि संबंधित परीक्षा बोर्ड ने परिवर्तन सूत्र उपलब्ध नहीं किया है तो निम्नलिखित तालिका में दिए गए सूत्र के आधार पर ग्रेड से प्रतिशत की गणना की जाएगी :-

ग्रेड	अंक श्रेणी	प्रतिशत
A+	90-100	95%
A	80-89	84.5%
B+	70-79	74.5%
B	60-69	64.5%
C+	50-59	54.5%
C	40-49	44.5%

पूर्व आई टी आई वर्ग के लिए वरीयता सूची का निर्माण मैट्रिक और आई टी आई (प्रत्येक विषय में औसत नयूनतम 50%) दोनों में प्राप्त अंकों के सामान्य औसत के प्रतिशत के आधार पर बनाया जाएगा । मैट्रिक के प्रतिशत की गणना के लिए उम्मीदवार द्वारा आवेदन में प्राप्त मैट्रिक अंक के प्रतिशत की (सभी विषयों का योग या 5 सर्वश्रेष्ठ विषयों का योग जैसे कि संबंधित दसवीं बोर्ड के दिशा-निदेशों में बताया गया है) और आई टी आई अंकों की गणना के लिए अनंतिम या अंतिम प्रमाण पत्र मे उल्लिखित अंकों के आधार पर विचार किया जाएगा ।

उम्मीदवार का बोर्ड/परीक्षा प्रणाली कोई भी हो उनके माध्यमिक (कक्षा दसवीं या समकक्ष) के अंको की गणना उस बोर्ड/परीक्षा प्रणाली के निर्धारित सूत्र के आधार पर ही किया जाएगा । उपलब्ध रिक्तयों की स्थिति के आधार पर ही चयन सूची बनाई जाएगी और अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों को ही दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा ।

संकल्प :-

वरीयता सूची तैयार करने के लिए, यदि दो उम्मीदवारों के अंक/प्रतिशत समान है (टाई का मामला) तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी । यदि जन्म तिथि भी समान हो तो उस उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पास पहले वर्ष का मैट्रिक प्रमाण पत्र हो । तथापि यदि मैट्रिक परीक्षा का वर्ष भी समान हो तो उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी अक्षर के क्रम को प्राथमिकता दी जाएगी अर्थात जिस उम्मीदवार का नाम पहले प्रदर्शित होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी ।

किसी गलती या जाने-अनजाने में किसी कारण से हुई त्रुटि के मामले में सी एफ ए प्रबंधन के पास पात्र उम्मीदवारों की चयन सूची को यथा आवश्यकता अनुसार संशोधित करने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार होगा और इस संबंध में किसी भी समय सी एफ ए प्रबंधन का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

6.एस सी/एस टी/ओ बी सी एवं पी एच उम्मीदवारों के लिए आरक्षण :-

प्रशिक्षु अधिनियम 1961, प्रशिक्षु नियमावली 1992 एवं तत्संबंधी संशोधन, दिव्यांगता अधिनियम 2016 के तहत व्यक्ति के अधिकार और भारत सरकार के विद्यामान नियमों के तहत संबंधित नियमावली के प्रावधान के अनुसार आरक्षण लागू होगा । पी एच/पी डब्यू डी वर्ग के लिए अधिसूचित रिक्तियाँ पृथक नहीं परंतु प्रावधान के अनुसार कुल रिक्तियों में शामिल है । उम्मीदवारों का अंतिम चयन, लागू आरक्षण नियमावली के अनुसार प्रत्येक वर्ग में वरीयता क्रम में होगा ।

7. प्रशिक्षण की अवधि :-

गैर आई टी आई और आई टी आई उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण की अवधि ट्रेड प्रशिक्षु अधिनियम 1961 प्रशिक्षु नियमावली 1992 एवं तत्संबंधी संशोधन, में वर्णित प्रावधान के अनुसार होगी । तथापि पूर्व आई टी आई उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण की अवधि प्रशिक्षु नियमावली 1992 एवं तत्संबंधी संशोधन की अनुसूची 1 के प्रावधान के अनुसार संबंधित ट्रेड में होगी ।

8. वृत्ति :-

ट्रेड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षु नियमावली 1992 और तत्संबंधी संशोधन के नियम 11 के उपनियम (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रति माह न्यूनतम वृत्ति का भुगतान किया जाएगा । प्रशिक्षुओं को ट्रेड प्रशिक्षु अधिनियम 1961 तथा भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (प्रशिक्षु प्रशिक्षण विभाग) के पत्र क्रमांक डी जी टी -36/1/2021 – ए पी दिनांक. 15/10/2025 द्वारा सूचित भारतीय राजपत्र अधिसूचना जी एस आर 610 (ई) दिनांक 3 सितंबर 2025 में दिए गए प्रावधान के अनुसार मासिक वृत्ति का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा :-

गैर – आई टी आई (मैट्रिक/दसवीं कक्षा के उम्मीदवार	8200/-
पूर्व आई टी आई (आई टी आई उत्तीर्ण उम्मीदवार)	9600/-

प्रशिक्षुओं को संपूर्ण प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि के दौरान कोई अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा । तथापि पूर्व आई टी आई उम्मीदवारों के मामले में उन्हें दी जाने वाली वृत्ति का निर्धारण उनके द्वारा पहले से की गई प्रशिक्षण की अवधि के अनुसार किया जाएगा । भारत सरकार द्वारा अन्य बातों के अलावा जारी प्रसांगिक संशोधनों के आधार पर उक्त भुगतान की राशि में परिवर्तन संभव हो सकता है ।

9. शारीरिक स्वस्थता का मानदण्ड:-

प्रशिक्षु अधिनियम 1961, प्रशिक्षु नियमावली 1992 एवं तत्संबंधी संशोधन के अनुसार ।

10.चिकित्सा परीक्षण :-

अस्थायी रूप से चयनित उम्मदीवारों के सफलापूर्वक दस्तावेज़ सत्यापन के पश्चात कॉडाईट निर्माणी परिसर में चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा । चिकित्सा परीक्षण की तिथि समय और स्थल की सूचना निर्माणी द्वारा पृथक रूप से दी जाएगी । चिकित्सा परीक्षण में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को आगे ट्रेड प्रशिक्षु प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा ।

11.शर्तें एवं परिस्थितियाँ :-

चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षु अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा (अवयस्क होने पर उसके/उसकी अभिवावक द्वारा) प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु नियमानुसार निर्माणी चिकित्सालय से चिकित्सा इलाज प्राप्त करने के पात्र होंगे । यदि ट्रेड़ प्रशिक्षु के रूप में किसी उम्मीदवार का चयन संबंधित आर डी एस डी ई में उसके/उसकी पंजीयन पर निर्भर करेगी । यदि किसी कारण से आर डी एस डी ई किसी उम्मीदवार को पंजीकृत नहीं करती है तो उस उम्मीदवार का प्रशिक्षण तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा । प्रशिक्षण पूरा करने पर और जिस ट्रेड में उन्होंनें स्तरीय प्रवीणता प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसे उत्तीर्ण करने पर एन सी वी टी द्वारा संबंधित ट्रेड में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा । यदि कोई उम्मीदवार प्रशिक्षु अनुबंध की शर्तों और परिस्थियों (प्रशिक्षु नियमावली 1992 एवं तत्संबंधी संशोधन में अधिसूचित प्रावधान के अनुसार) के आधार पर प्रशिक्षण पूर्ण होने के पहले समाप्त हो जाता है तो ऐसे उम्मीदवार/प्रतिभू से प्रशिक्षु परामर्शदाता के द्वारा निर्धारित की गई राशि प्रशिक्षण शुल्क के रूप में वसूल की जाएगी ।

12.नियुक्ति प्रस्ताव एवं स्वीकृति :-

प्रशिक्षण पूर्णता के बाद किसी भी प्रशिक्षु को रोज़गार का प्रस्ताव नियोक्ता द्वारा दिया जाना आवश्यक नहीं है और साथ ही किसी प्रशिक्षु द्वारा नियोक्ता द्वारा दिए गए किसी नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करना भी आवश्यक नहीं है । उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रशिक्षु अधिनियम 1961 प्रशिक्षु नियमावली 1992 एवं तत्संबंधी संशोधन तथा दिव्यांगता अधिनियम 2016 के तहत व्यक्ति के अधिकार संबंधी नीति-नियमों की संपूर्ण जानकारी रखें ।

13.चिकित्सा मानदण्ड :-

प्रशिक्षु अधिनियम 1961 प्रशिक्षु नियमावली 1992 एवं तत्संबंधी संशोधन के तहत कोई भी उम्मदीवार प्रशिक्षण हेतु पात्र होगा । यदि वह उक्त नियमों के तहत संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु उक्त नियमों में निर्धारित न्यूनतम चिकित्सा मानदण्ड को पूरा करता है/करती है तो उसे कॉडाइट निर्माणी अस्पताल द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।

14.उम्मीदवारों के लिए सामान्य अनुदेश :-

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दिए गए अनुदेश पर ध्यान दें:-

I. यह ध्यान दिया जाए कि मात्र आवेदन पत्र जमा करना ट्रेड प्रशिक्षु के रूप में लिए जाने की गैरंटी नहीं है । उम्मीदवारों का चयन उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए वरीयता सूची/चयन सूची के आधार पर किया जाएगा । आवेदकों की उम्मीदवारी चयन प्रक्रिया के सभी स्तर पर पूरी तरह अस्थायी रहेगा । उम्मीदवारों का चयन और उनकी उम्मीदवारी उनके मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेज़ों की छटनी, बेदाग पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षण और विज्ञापन में दर्शाए गए अन्य पात्रता संबंधी मानदण्डों और प्रशिक्षु अधिनियम 1961 प्रशिक्षु नियमावली 1992 एवं तत्संबंधी संशोधन में दर्शाए गए प्रावधानों को पूरा करने की शर्त पर निर्भर करेगा । तथापि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के लंबित/विलंबित होने के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति को निरस्त नहीं किया जाएगा ।

II.उम्मीदवारों को विज्ञापन विस्तार से और ध्यान से पढ़ना चाहिए । उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक पात्रता मानदंडों के तहत प्राप्त अंकों/प्रतिशत को ध्यान से दर्ज करें । उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन जमा करने से पहले इस विज्ञापन में दी गई सभी शर्तों को पूरा करते हैं ।

III.उम्मीदवारों को अद्यतन रहने के लिए और बदलावों की जानकारी के लिए नियमित रूप से वेबसाइट (https://www.ddpdoo.gov.in) देखते रहना चाहिए ।

IV.समय-समय पर सूचनाएं पाने के लिए उम्मीदवारों को सही मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी देनी होगी ।

V.किसी भी तरह की पक्ष प्रचार करने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । चयन प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होती है । उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी धोखेबाज़ के झांसे में न आएं ।

VI.किसी भी ज़रूरी जानकारी को छिपाने या जाली प्रमाण–पत्र जमा करने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

VII.पात्रता या किसी भी आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने से जुड़े सभी मामलों में सी एफ ए का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी भी सवाल या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

VIII.मौजूद नियमों के अनुसार ट्रेड प्रशिक्षु की नियुक्ति की शर्तों में होने वाले कोई भी बदलाव मान्य होंगे । कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु के पास इस विज्ञापन सूचना के तहत शर्तों में आवश्यकतानुसार और लागू होने पर कोई भी बदलाव/संशेधन जोड़ करने का अधिकार सुरक्षित है । रोज़गार समाचार पत्र में प्रकाशित शुद्दिपत्र को ध्यान में रखा जाएगा ।

IX.ट्रेड प्रशिक्षु की नियुक्ति से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में उस शहर/टाउन के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय/न्यायाधिकरण का निर्णय मान्य होगा जहाँ कॉर्डाइट निर्माणी स्थित है ।

X.दस्तावेज़ सत्यापन/चिकित्सा जांच के लिए बुलाए गए किसी भी उम्मीदवार को कोई परिवहन भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

XI.प्रशिक्षु अधिनियम 1961 और प्रशिक्षु नियमावली 1992 के सभी प्रावधान और आज की तारीख तक उनमें हुए सभी संशोधन लागू होंगे ।

नोट-I :- अंतिम समय की जल्दबाज़ी से बचने के लिए, उम्मीवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी भलाई के लिए अंतिम तिथि से काफी पहले आवेदन जमा कर दें ।

नोट-II:- सी एफ ए उन उम्मीदवारों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी जो उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से अंतिम दिन तक अपना आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं ।

15. उम्मीदवारी की निरस्तीकरण :-

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से और अच्छी तरह पढ़ लें । अन्यथा, उनके आवेदन निम्नलिखित कारणों से या अधिक कारणों की वजह से निरस्त की जा सकती है । उम्मीदवारों का आवेदन या उम्मीदवारी निम्नलिखित कारणों से रद्द की जा सकती है:-

i.अधूरा आवेदन :- अस्पष्ट या न पढ़े जा सकने वाले दस्तावेज़ जमा करना ।

ii.इस विज्ञापन की तिथि पर कॉर्डाइट निर्माणी में प्रशिक्षु करने के लिए विज्ञापन में बताई गई निर्धारित योग्यता न होना ।

iii.अधिक उम्र या कम उम्र होना, या जन्म तिथि न भरना या गलत भरना ।

iv.दो या अधिक आवेदन जमा करने पर उम्मीदवारी रद्द की जाएगी । आई टी आई और गैर आई टी आई दोनों रिक्तियों के लिए आवेदन करने पर भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

v.केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा । कई आवेदन होने की स्थिति में, नवीनतम आवेदन पर विचार किया जाएगा ।

vi.बिना फोटो, बिना स्पष्ट फोटो, टोपी पहने हुए फोटो, चश्मा पहने हुए फोटो ,खराब/विकृत , न पहचाने जा सकने वाले या अस्पष्ट फोटों वाला आवेदन । अस्पष्ट हस्ताक्षर या अस्पष्ट दस्तावेज़ वाले आवेदन ।

vii.उम्मीदवार का नाम प्रतिबंधित सूची में शामिल होने पर ।

viii. कोई भी अन्य गड़बडी जिसके कारण सी एफ ए आवेदक की उम्मीदवारी को अमान्य कर सकता है ।

ix.आवेदन प्रपत्र में नाम, पिता का नाम, जम्न तिथि, बताए गए अंक और पास होने के वर्ष का दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र/आई टी आई प्रमाण पत्र से अलग होने पर ।

x.आवेदन किए गए ट्रेड़ और आई टी आई ट्रेड प्रमाण पत्र के बीच कोई मेल न होना, यानी विज्ञापन में बताए गए अलग-अलग तय ट्रेड के लिए ज़रूरी शैक्षणिक/तकनीकी आई टी आई योग्यता के बिना आवेदन जमा करना ।

16. महत्वपूर्ण जानकारी :-

सभी संभावित उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन प्रपत्र के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की प्रति जमा करें:-

i. हाल की साफ़ रंगीन फ़ोटो की सॉफ्ट/स्कैन की गई कॉपी (आक़ार 3.5 से.मि x 3.5 से.मी । आवेदन की तारीख से तीन महीने से ज़्यादा पुरानी न हो)

ii.सफेद कागज़ पर काले/नीले स्याही वाले पेन से उम्मीदवार के साफ़ हस्ताक्षर (आकार 3.5 से.मि x 3.5 से.मी)

iii.बारह अंको का आधार कार्ड नंबर । जिन उम्मीदवारों के पास आधार नंबर नहीं है, लेकिन जिन्होंने आधार के लिए दर्ज कराया है, वे आधार पंजीयन रसीद पर छपी शुरुआती चौदह अंको की नामांकन आई डी दें । जिन उम्मीदवारों के पास उपर्युक्त दोनो नंबर न हो, वे विज्ञापन में बताए गए किसी भी आई डी कार्ड का नंबर लिख सकते हैं ।

iv.नीचे दिए गए मूल दस्तावेज़ों की साफ़ प्रति ।

क) आधार न होने पर पहचान पत्र की प्रति ।

ख) एस एस सी (मैट्रिक/दसवीं कक्षा) या समकक्ष की मार्कशीट ।

ग) जन्म तिथि के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र (दसवीं कक्षा या उसके बराबर का मैट्रिक प्रमाण पत्र या अंक सूची जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो ।

घ) संबंधित आई टी आई पास ट्रेड (जिसके लिए आवेदन किया गया है) के सभी सेमेस्टर की समेकित अंक सूची / अंको को दर्शाने वाला अस्थायी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र ।

च) आई टी आई उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए एन सी वी टी द्वारा जारी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या एन सी वी टी / एस सी वी टी द्वारा जारी अस्थायी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र ।

छ) एस सी / एस टी / ओ बी सी उम्मदीवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र , जहाँ लागू हो । ओ बी सी नॉन – क्रीमी लेयर उम्मदीवारों को पिछले तीन वर्षों के भीतर जारी अपना ओ बी सी नॉन –क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा ।

ज) पी डब्लयू / पी डब्लयू डी उम्मीदवारों के मामले में, सक्षम चिकित्सा बोर्ड / प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र ।

क्रम सं.	राज्य	निर्माणी का नाम	ट्रेड	यूआर	ओबीसी	एसी	एसटी	कुल	दिव्यांग		
									ओएच	एचएच	वीएच
1	तमिलनाडु	कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु	पूर्व आई टी आई अटेंडेंट ओपरेटर केमिकल प्लांट	10	5	4	1	20	0	0	0
			पूर्व आई टी आई ओपरेटर केमिकल प्लांट	10	6	4	0	20	0	0	0
			पूर्व आई टी आई प्रयोगशाला सहायक(केमिकल प्लांट)	4	2	1	0	7	0	1	0
			कुल	**24**	**13**	**9**	**1**	**47**	**0**	**1**	**0**

CORDITE FACTORY, ARUVANKADU

A unit of Munitions India Limited
Govt. of India Enterprise,
Ministry Of Defence
Aruvankadu, Tamil Nadu- 643 202

APPLICATION FOR APPRENTICESHIP TRAINING FOR 59TH BATCH

Name of the Candidate: (In Capital)				
Personal Details				
Father's / Husband's Name:		**Mother's Name:**		**PHOTO**
Date of Birth:		**Gender:**		
Category:		**Applied For:**		
Physically Disabled:				
ID Type:		**Aadhar Number:**		

Board/ Exam Authority:		**Name of Educational Institute:**	
SSC Mark Sheet No:		**Year of passing SSC**	

Result Type	**Marks**	
Marks Obtained in Science	**Maximum Marks (out of)**	**Aggregate Percentage (%) Secured**
Marks Obtained in Maths	**Maximum Marks (out of)**	**Aggregate Percentage (%) Secured**
Total marks in All Subjects	**Maximum Marks (out of)**	**Percentage (%) Secured**
Selection Trade :		

Factory Applied for		**Cordite Factory Arvankadu**	
Permanent Address:		**Present Address:**	
Address:		**Address:**	
City/District:		**City/District:**	
State Name:		**State Name:**	
E-mail ID:		**E-mail ID:**	

List of Documents Enclosed		
Aadhar / Identity Card	**SSC/ Matriculation Certificate**	**Category Certificate**

DECLARATION:-I declare that I have read, understood and agree that the information provided by me in the application is true to the best of my knowledge. If any information is found wrong or deviates from the facts, I will be in-eligible and my candidature through shall remind liable to be cancelled at any stage without issue of any notice. In case I am selected on any false /incorrect information furnished by me, the selection shall also be stand terminated. I also undertake that in respect of the interpretation of clauses/ rules relevant for engagement of trade apprentices, Cordite factory shall have all rights.

SIGNATURE OF THE CANDIDATE

कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु
म्यूनिशंस इंडिया की इकाई
भारत सरकार का उपक्रम
रक्षा मंत्रालय
अरुवनकाडु,तमिलनाडु -643 202

59 वें बैच के प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु आवेदन				
उम्मीदवार का नाम : (बड़े अक्षरों में)				
व्यक्तिगत विवरण				
पिता/पति का नाम:		माँ का नाम :		फोटो
जन्म तिथि :		लिंग :		
वर्ग :		आवेदित पद :		
दिव्यांग जन :				
पहचान पत्र :		आधार सं:		

बोर्ड/परीक्षा प्राधिकारी :		शैक्षणिक संस्थान का नाम :	
एस एस सी अंक सूची क्रमांक :		एस एस सी उत्तीर्ण करने का वर्ष	
परिणाम	अंक		
विज्ञान में प्राप्त अंक	अधिकतम अंक (पूर्ण अंक)	प्राप्त औसत प्रतिशत (%)	
गणित में प्राप्त अंक	अधिकतम अंक(पूर्ण अंक)	प्राप्त औसत प्रतिशत (%)	
सभी विषयों के कुल अंक	अधिकतम अंक(पूर्ण अंक)	प्राप्त औसत प्रतिशत (%)	
चयनित ट्रेड :			

आवेदित निर्माणी		कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु	
स्थायी पता :		वर्तमान पता :	
पता :		पता :	
शहर /जिला :		शहर /जिला :	
राज्य का नाम :		राज्य का नाम :	
ई- मैल आई डी :		ई- मैल आई डी :	

संलग्न दस्तावेजों की सूची		
आधार/पहचान पत्र	एस एस सी / मेट्रिक प्रमाण पत्र	जाति/वर्ग प्रमाण पत्र

घोषण:- मैं यह घोषण करता/करती हूँ कि मैं ने विज्ञापन की शर्तों को पढ़ा और समझा है और यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई सभी सूचनाएँ मेरी संपूर्ण जानकारी में सही है । यदि कोई सूचना तथ्यों से विपरीत या गलत पाई जाती है तो मुझे कोई सूचना दिए बिना मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो सकती है और यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत गलत/मिथ्य सूचना के आधार पर मेरा चयन होता है तो यह निरस्त हो जाएगा । मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि उपबंधों /प्रशिक्षुओं की नियुक्ति संबंधी नियमों की व्यख्या के लिए कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु को सर्वाधिकार है ।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर